न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2014

1 बीरबल पुत्र महादेव जाति जाट निवासी ग्राम चुड़ी मियांन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जमनी देवी पत्नी नारायण जाति जाट।
2 हफीज बानो पत्नी अलादीन खां जाति मुसलमान निवासीगण चुड़ी मियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 श्याम मंदिर धाम चुड़ी मियान चिर अवयस्क जरिये पुजारी श्री रामनारायण जोशी।
4 असलम मृत पुत्र इनायत खां।
4/1 मोबिना बानो पत्नी इनायत खां।
4/2 नूर बानो पत्नी इनायत खां जाति मुसलमान।
5 भागीरथ पुत्र महादेव जाति जाट निवासीगण चिुडी मियांन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 पटवारी हल्का बलांरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चुडी मियांन जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2014
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ पीठासीन
अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र चौधरी आर.ए.एस मुकदमा
नम्बर 216/2012 बउनवानी बीरबल बनाम जमनी देवी

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नसीर अहमद, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 216/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अदालत मातहत में एक वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चूड़ी मियान तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 333/1 रकबा 3.93 है., 333/2 रकबा 1.25 है. (मूल खसरा नम्बर 333 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा) , 332 रकबा 0.05 है. वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 5 की पैतृक वंशानुगत की आराजियात है जो इनके पूर्वज नेता उर्फ नेत्या के कब्जे काश्त व खातेदारी मं रही है तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रगण नारायण व महादेव के नाम दर्ज हुई किन्तु मूल खसरा नम्बर 333 में से 5 बीघा पुख्ता भूमि की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 के पति नारायणराम ने सम्वत 2014 से 17 में ना. सं. 71 द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गलत रूप से अपने अकेले के नाम दर्ज करवाली जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नि प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि पैतृक वंशानुगत है जिसमें जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादी नं. 5 तथा प्रतिवादी नं. 1 के नाम समान रूप से दर्ज होनी चाहिये। प्रतिवादी ने उक्त सम्पूर्ण भूमि का नुमायशी विक्रयपत्र प्रतिवादी नं. 2 ता 4 के नाम बिना किसी हक अधिकार के कर दिया जो विक्रय वादी व प्रतिवादी नं. 5 के हक अधिकारों के समक्ष अकृत, शून्य व प्रभावहीन हैं। खेत खसरा नम्बर 333/2 रकबा 1.25 हैक्टर में स्व. महादेव का एवं अब वादी व प्रतिवादी नं. 5 का नाम समान रूप से 1/2 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज होना चाहिए तथा इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा वर्तमान खाता बनाम प्रतिवादी नं. 1 ता 4 में प्रतिवादी नं. 1 के 1/2 हिस्सा से अधिक की खातेदारी निरस्त घोषित फरमाई जावे तथा वादग्रस्त आराजियात वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 5 की संयुक्त कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसका माप एवं सीमांकन से विभाजन करवाया जाना आवश्यक है इसलिए खेत खसरा नम्बर 333/1, 333/2, 332 में वादी व प्रतिवादी नम्बर 5 को 1/2 हिस्सा का व प्रतिवादी नं. 1 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं. 2 ता 4 के पक्ष में बने नुमायशी विक्रय पत्र अकृत, शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जावें व आराजियात का माप एवं सीमाकन से विभाजन किया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता दी जावें। प्रतिवादी नं. 1 ने वादी के वाद का जवाबदावा काउण्टर क्लेम सहित पेश कर कथन किया कि ना. सं. 71 वैद्य व सही भरा गया है लेकिन उसके पति नारायणराम व भाई महादेव ने आपसी सहमति व स्वीकृति से वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को पैतृक मान्य कर विभाजन नपती कर समभाग पर काबिज हो गये। मौके पर खसरा नम्बर 333/1, 333/2 कोई विभाजन नही है बल्कि मूल खसरा नम्बर 333 के मध्य सीमांकन व सींवनीव है। इकजाही सम्पूर्ण भूमि मे से पश्चिमी ओर की आधी भूमि उसके पति को मिली तथा आधी भूमि पूर्वी ओर की महादेव के हिस्सा में आई जिस पर वादी व प्रतिवादी नं. 5 काबिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। प्रतिवादी नं. 1 ने अपने हिस्सा में आई भूमि 2.6150 है. मं से 1.25 है. भूमि प्रतिवादी नं. 2 ता 4 को विक्रय कर दी तथा शेष भूमि की वसीयत अपनी सगी भाणजी संतोष देवी की लड़की अनिता के पक्ष में करदी। वादग्रस्त आराजियात का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा अब मौके पर संयुक्त रूप से काश्त किया जाना संभव नहीं है। इसलिए काउण्टर वाद विभाजन हेतु प्रस्तुत कर रही है कि बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण का पृथक पृथक हिस्सा घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम दिनांक 16.05.2013 को प्रस्तुत किये जाने के बाद दिनांक 10.10.2013 को वादी का वाद स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की किन्तु अदालत मातहत ने उक्त सहमति के विपरित जाकर दिनांक 28.01.2014 को निर्णय कर दिया। निर्णय में वादी का वाद व प्रतिवादी नं. 1 का प्रतिदावा डिक्री करने का अंकन किया है किन्तु वास्तव में वादी का वाद डिक्री न करके प्रतिवादी नं. 1 का काउण्टर क्लैम डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायायल ने वादी द्वारा चाही गई सहायता प्रदान नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा काउण्टर क्लैम स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री भी जारी नहीं की गई है इसके अभाव में विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादिया का वादग्रस्त आराजियात में हिस्सा 2.615 है. (लगभग 1/2) है जो मौके पर पृथक नींव–सींव से महदूदा है। वादग्रस्त आराजी मौके पर एक चक के रूप में विद्यमान है। खसरा नम्बर 332 सहित वादी व प्र.वा. 5 की भूमि पूर्वी दिशा मे अवस्थित जबकि पश्चिमी अर्द्धभाग (लगभग) वादिया के कब्जे काश्त की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्र. वा. का जवाबी कथन यह है कि उसने अपने हिस्से मैं से 1.25 भूमि पृथक–पृथक विक्रय दस्तावेजात के माध्यम से पृथक–पृथक प्र.वा. सं. 2,3 व 4 को विक्रय कर दी है जिस पर कब्जा प्र.वा.सं. 2,3 व 4 का है। वादिया स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि उपरोक्त प्रकार से विभाजन किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। अपितु प्रतिवादिया ने प्रतिदावा की शक्ल में वादी के समान अनुतोष चाहा है। इस प्रकार एक प्रकार से प्रतिवादिया के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया है। प्रतिवादिया की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए पुनः अंशत अपने जवाबवाद की पुष्टि की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया का वादग्रस्त आराजियात में हिस्सा 2.615 है. (लगभग 1/2) है जो मौके पर पृथक नींव–सींव से महदूदा है। वादग्रस्त आराजी मौके पर एक चक के रूप में विद्यमान है। खसरा नम्बर 332 संहित वादी व प्र.वा. 5 की भूमि पूर्वी दिशा मे अवस्थित जबकि पश्चिमी अर्द्धभाग (लगभग) वादिया के कब्जे काश्त की है। प्र. वा. का जवाबी कथन यह है कि उसने अपने हिस्से मैं से 1.25 भूमि पृथक–पृथक विक्रय दस्तावेजात के माध्यम से पृथक–पृथक प्र.वा. सं. 2,3 व 4 को विक्रय कर दी है जिस पर कब्जा प्र.वा.सं. 2,3 व 4 का है। वादिया स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि उपरोक्त प्रकार से विभाजन किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। अपितु प्रतिवादिया ने प्रतिदावा की शक्ल में वादी के समान अनुतोष चाहा है। इस प्रकार एक प्रकार से प्रतिवादिया के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया है। प्रतिवादिया की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए पुनः अंशतः अपने जवाबवाद की पुष्टि की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर